From,

District Magistrate,
Prayagraj.

To,

The Registrar General,
National Greeen Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

Ref.No:- 981 /NGT/2020-21 Date:- 20/08/2020

Sub:-Compliance report in the matter of Original Application No. 869/2019 Manoj Kumar Panday Maa Ganga, Yamuna, Sarswati Sewa Sansthan Vs State of U.P.

Sir,

Please find enclosed the compliance report in Original Application No. 869/2019 Manoj Kumar Panday Maa Ganga, Yamuna, Sarswati Sewa Sansthan Vs State of U.P. on behalf of District Magistrat, Prayagraj.

It is requested that the same may be placed before the Hon'ble Court for kind consideration.

20/08/2020
District Magistrate,
Prayagraj.

Scanned with CamScanner

ओ0ए0 संख्या–869 / 2019 मनोज कुमार पाण्डेय मॉ गंगा, यमुना, सरस्वती सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 का अनुपालन आख्या

मॉ गंगा, यमुना, सरस्वती सेवा संस्थान महामंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र पर ओ0ए0 संख्या–869 / 2019 में मा0 राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 के कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

Let the District Magistrate, Prayagraj look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में आख्या निम्नवत् हैः–

जनपद प्रयागराज के तहसील–बारा में यमुना नदी तल स्थित साधारण बालू के खण्ड संख्या–04 (ग्राम–सेमरी) रकबा–8.00 हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष 1,60,000 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन करने के निमित्त ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांक 27.02.2018 से दिनांक 26.02.2023 तक) की अवधि हेतु मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी–437 / 189 नेवादा कालोनी अशोक नगर, जनपद–प्रयागराज के पक्ष में नीलामी खनन पट्टा स्वीकृत / निष्पादित किया गया था।

ग्राम–सेमरी में साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर संयुक्त रूप से खनन विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग द्वारा जॉच करायी गयी। संयुक्त जॉच आख्या दिनांक 04.06.2020 **(संलग्नक–1)** द्वारा अवगत कराया गया है कि बालू खण्ड संख्या–04 रकबा–8.00 हे0 की संयुक्त जॉच / पैमाईश पट्टाधारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की गयी। संयुक्त जॉच में यह पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र से तीन खण्डों में बालू खनन किया गया है। पिट्स की पैमाईश के उपरान्त स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	पिट्स संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	औसत गहराई (मीटर)	निकाली गयी मात्रा (घन मीटर)
1	पिट्स संख्या–1	38,700	1.30	50,310
2	पिट्स संख्या–2	28,800	1.30	37,440
3	पिट्स संख्या–3	3,000	1.30	3,900
	योग	70,500	–	91,650

उक्त पैमाईश के अनुरार स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान सीजन में (01 अक्टूबर, 2019 से निरीक्षण दिनांक तक) कुल–70,500 वर्ग मीटर क्षेत्र से लगभग–91,650 घनमीटर बालू की निकासी की गयी है, जो कि परिवहन प्रपत्र ई–एम0एम0 11 द्वारा निकाली गयी मात्रा के अनुरूप है। स्वीकृत बालू खनन क्षेत्र की पैमाईश जरीब / फीते के साथ–साथ जी0पी0एस0 मशीन से की गयी है। निरीक्षण दिनांक को मानचित्र पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन किया जाना नहीं पाया गया।

उपरोक्त जॉच आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम–सेमरी के स्वीकृत बालू खण्ड संख्या–04 रकबा–8.00 हे0 में अवैध खनन कार्य होना नहीं पाया गया। स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र नदी की जलधारा के बाहर होने के कारण नाव से खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ग्राम सेमरी बालू खण्ड संख्या–4 के पट्टाधारक मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा खनन पट्टा विलेख के भाग–2 के अनुसार निर्धारित समय अवधि पर देय किश्त की धनराशि, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की धनराशि जमा नहीं किये जाने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–643 / खनिज /

Scanned with CamScanner

ई–नीलाम बालू /2020–21 दिनांक 29.06.2020 द्वारा नियमानुसार खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है तथा पट्टेधारक के विरूद्ध बकाया देय धनराशि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र संख्या–704/खनिज/व0प्र0प0/2019 दिनांक 07.07.2020 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार ओ0ए0 संख्या–869/2019 मनोज कुमार पाण्डेय मॉ गंगा, यमुना, सरस्वती सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कर लिया गया है।

संलग्नक–यथोक्त

खान निरीक्षक प्रयागराज।	ज्येष्ठ खान अधिकारी प्रयागराज।	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज। 20.08.2020	20/08/2020 जिलाधिकारी, प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

-Anx-1

संयुक्त निरीक्षण / सर्वेक्षण आख्या

प्राप्त आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 04.06.2020 को तहसीलदार–बारा, राजस्व निरीक्षक लालापुर, सर्वेक्षक, खनिज विभाग, खान निरीक्षक, प्रयागराज तथा थानाध्यक्ष लालापुर द्वारा तहसील–बारा के ग्राम सेमरी के खण्ड संख्या–4 में मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स प्रो0 श्री संजीव कुमार गुप्ता के पक्ष में दिनांक 27.02.2018 से दिनांक 26.02.2023 तक स्वीकृत बालू खनन पट्टा क्षेत्र रकबा–8.00 हे0 की संयुक्त जाँच/पैमाईश पट्टाधारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की गयी। संयुक्त जाँच में यह पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र से तीन अनियमित आकार के पिट्स में से बालू खनन किया गया है। पिट्स की पैमाईश के उपरान्त स्थिति निम्नवत् है।

क्र0सं0	पिट्स संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	औसत गहराई (मीटर)	निकाली गयी मात्रा (घन मीटर)
1	पिट्स संख्या–1	38,700	1.30	50,310
2	पिट्स संख्या–2	28,800	1.30	37,440
3	पिट्स संख्या–3	3,000	1.30	3,900
योग		70,500	—	91,650

उक्त पैमाईश के अनुसार स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान सीजन में (01 अक्टूबर के उपरान्त) कुल–70,500 वर्ग मीटर क्षेत्र से लगभग–91,650 घनमीटर बालू की निकासी की गयी है। पिट्स की पैमाईश जरीब/फीते के साथ–साथ जी0पी0एस0 मशीन से की गयी है। क्षेत्र में पिट्स की गहराई का आंकलन लगभग 0.25 मीटर औसत ओवर बर्डन (मिट्टी, दोमट, बजरी आदि) हटाकर की गयी है। निरीक्षण दिनांक को मानचित्र पर स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कोई अवैध खनन किया जाना नहीं पाया गया।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

4-6-2020 — रा0नि0 लालापुर बारा, प्रयागराज।

04/06/2020 — सर्वेक्षक खनन विभाग, प्रयागराज।

04/06/2020 — खान निरीक्षक प्रयागराज।

04/06/20 — तहसीलदार बारा प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

ANX-2

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज।

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 643/खनिज/ई–नीलाम बालू/2020–21 दिनांकः 29/06/2020

आदेश

शासनादेश संख्या–1875/86–2017–57(सा0)/20 टी0सी0–I, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथासंशोधित) नियमावली–1963 के अध्याय–4 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन जनपद प्रयागराज के तहसील–बारा में यमुना नदी तल स्थित साधारण बालू के खण्ड संख्या–04 (ग्राम–सेमरी) रकबा–8.00 हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष 1,60,000 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन करने के निमित्त ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांक 27.02.2018 से दिनांक 26.02.2023 तक) की अवधि हेतु मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी–437/189 नेवादा कलोनी अशोक नगर, जनपद–प्रयागराज के पक्ष में नीलामी खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

खनन पट्टा विलेख के भाग–2 के अनुसार देय किश्तों की धनराशि, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की धनराशि को जमा करने हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–58 एवं 60 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार पट्टाधारक को कार्यालय पत्र संख्या–125/खनिज/ई–नीलाम बालू/2020–21 दिनांक 14.05.2020 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर निम्नानुसार देय किश्तों की सम्पूर्ण धनराशि, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की सम्पूर्ण धनराशि देय तिथि से मय ब्याज सहित जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया था :–

क्र0सं0	वर्ष	किश्त	देय तिथि	देय किश्त की धनराशि	जमा/बकाया किश्तों का विवरण			बकाया धनराशि	जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (किश्त का धनराशि का 10 प्रतिशत)	टी0सी0एस0 (किश्त की धनराशि का 2 प्रतिशत)
					चालान सं0	दिनांक	धनराशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प्रथम वर्ष	प्रथम	–	–	–	–	–	–	25,00,000.00	जमा
		द्वितीय	01.04.2018	2,50,00,000.00	A140001	15.06.2018	2,50,00,000.00	–	25,00,000.00	जमा
		तृतीय	01.07.2018	2,50,00,000.00	L571296 L789053 AB89231	05.12.2018 29.12.2018 11.01.2019	80,00,000.00 80,00,000.00 90,00,000.00	–	25,00,000.00	जमा
		चतुर्थ	01.10.2018	2,50,00,000.00	AV42599 CT77978 CU92693 E536076	31.01.2019 29.03.2019 30.03.2019 28.05.2019	50,00,000.00 50,00,000.00 50,00,000.00 1,00,00,000.00	–	25,00,000.00	जमा
2	द्वितीय वर्ष	प्रथम	01.01.2019	2,75,00,000.00	BE00082	14.02.2020	2,75,00,000.00	–	27,50,000.00	5,50,000.00
		द्वितीय	01.04.2019	2,75,00,000.00	BE00081	14.02.2020	2,75,00,000.00	–	27,50,000.00	5,50,000.00
		तृतीय	01.07.2019	2,75,00,000.00	CL00076 CL00079	20.03.2020 20.03.2020	50,00,000.00 50,00,000.00	1,75,00,000.00	27,50,000.00	5,50,000.00
		चतुर्थ	01.10.2019	2,75,00,000.00	–	–	–	2,75,00,000.00	27,50,000.00	5,50,000.00
3	तृतीय वर्ष	प्रथम	01.01.2020	3,02,50,000.00	–	–	–	3,02,50,000.00	30,25,000.00	6,05,000.00
		द्वितीय	01.04.2020	3,02,50,000.00	DO00009 EC00066	24.04.2020 12.05.2020	5,00,000.00 5,00,000.00	2,92,50,000.00	30,25,000.00	6,05,000.00
योग			–	–	–	–	–	10,45,00,000.00	2,70,50,000.00	34,10,000.00

उक्त नोटिस दिनांक 14.05.2020 के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा निम्न विवरण के अनुसार देय किश्त की धनराशि जमा की गयी है।

क्र0सं0	दिनांक	चालान सं0	जमा धनराशि
1.	16.05.2020	EG00017	5,00,000.00
2.	19.05.2020	EJ00066	10,00,000.00
3.	19.05.2020	EJ00067	5,00,000.00

Scanned with CamScanner

4.	22.05.2020	EM00025	10,00,000.00
5.	22.05.2020	EM00027	10,00,000.00
6.	26.05.2020	EQ00029	5,00,000.00
7.	26.05.2020	EQ00033	10,00,000.00
8.	27.05.2020	ER00051	10,00,000.00
9.	27.05.2020	ER00053	10,00,000.00
10.	28.05.2020	ES00013	10,00,000.00
11.	30.05.2020	EV00018	10,00,000.00
12.	30.05.2020	EV00021	20,00,000.00
13.	01.06.2020	FL00126	20,00,000.00
14.	06.06.2020	AKD200111403	1,21,00,000.00
योग—			2,56,00,000.00

पट्टेधारक द्वारा नोटिस दिनांक 14.05.2020 प्राप्ति के उपरान्त रू0 2,56,00,000.00 (दो करोड़ छप्पन लाख रूपये) जमा किया गया है। उक्त धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त भी बालू खण्ड सं0—04 (ग्राम—सेमरी) रकबा 8.00 है0 के पट्टा विलेख के भाग—2(क) के अनुसार रू0 7,89,00,000.00 (सात करोड़ नवासी लाख रूपये) बकाया है। उक्त के अतिरिक्त डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 के मद में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है, जिस कारण नोटिस दिनांक 14.05.2020 में अंकित डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की बकाया धनराशि यथावत है।

पट्टाधारक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2020 के साथ संलग्न शपथ पत्र के द्वारा खनन पट्टा बालू खण्ड संख्या—04 का द्वितीय वर्ष के तृतीय किश्त, चतुर्थ किश्त तथा तृतीय वर्ष के प्रथम किश्त की कुल धनराशि लगभग—7.52 करोड़ रूपये का भुगतान दिनांक 31.05.2020 तक किये जाने हेतु कहा गया था, परन्तु पट्टाधारक द्वारा अभी तक शपथ पत्र के अनुसार बकाया धनराशि जमा नहीं की गयी है।

कार्यालय के पत्र सं0—547/खनिज/ई—नीलाम बालू/2020—21 दिनांक 15.06.2020 द्वारा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली—1963 के नियम—58 व 60 के प्राविधानो के अनुसार देय किश्त की सम्पूर्ण धनराशि रू0 7,89,00,000.00 (सात करोड़ नवासी लाख रूपये) देय तिथि से मय ब्याज सहित, डी0एम0एफ0 की सम्पूर्ण धनराशि रू0 2,70,50,000.00 (दो करोड़ सत्तर लाख पचास हजार रूपये) व टी0सी0एस0 की सम्पूर्ण धनराशि 34,10,000.00 (चौतीस लाख दस हजार रूपये) देय तिथि से मय ब्याज सहित जमा करने हेतु एवं प्रथम वर्ष के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किश्त व द्वितीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त की धनराशि विलम्ब से जमा करने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत की गयी। उक्त नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा देय किश्त, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 की कोई धनराशि जमा नहीं की गयी। इस प्रकार पट्टेधारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—1963 के नियम—58 एवं 60 तथा खनन पट्टा विलेख की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया गया है।

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—1963 के नियम—58 एवं 60 तथा खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी—437/189 नेवादा कलोनी अशोक नगर, जनपद—प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत बालू खण्ड संख्या—04 (ग्राम—सेमरी) रकबा—8.00 हेक्टयेर, जो दिनांक 27.02.2018 से 26.02.2023 तक साधारण बालू के खनन/परिवहन हेतु स्वीकृत/निष्पादित है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। बालू खण्ड संख्या—04 (ग्राम—सेमरी) रकबा—8.00 हेक्टयेर के स्वीकृत खनन पट्टा विलेख/अनुबन्ध पत्र को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

नीलामी पट्टा निरस्त किये जाने की तिथि तक पट्टाधारक पर देय किश्त की कुल धनराशि रू0 7,89,00,000.00 देय बकाया है। उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (47वॉं संशोधन)

Scanned with CamScanner

नियमावली–1963 के नियम–58 के अन्तर्गत जमा प्रतिभूति की धनराशि का समायोजन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार समायोजन उपरान्त (7,89,00,000.00–2,50,00,000.00) = 5,39,00,000.00 (पॉच करोड़ उन्तालीस लाख रूपये मात्र) देय किश्त की धनराशि, टी.सी.एस. की धनराशि रू0 34,10,000.00 (चौंतीस लाख दस हजार रूपये मात्र) एवं डी.एम.एफ. की धनराशि रू0 2,70,50,000.00 (दो करोड सत्तर लाख पचास हजार रूपये मात्र) बकाया है। इसके अतिरिक्त देयता तिथि से जमा किये जाने की तिथि तक रायल्टी एवं टी.सी.एस. की धनराशि पर 18 प्रतिशत तथा डी.एम.एफ. की धनराशि पर 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से परिकलित ब्याज सहित बकाया भी देय है। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किश्त व द्वितीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त की धनराशि विलम्ब से जमा करने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,79,06,432.00 भी बकाया है, जिसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में पट्टाधारक से वसूली करने हेतु उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र (Recovery Certificate) जारी किया जाय। पट्टाधारक का नाम आगामी 02 वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है। पट्टाधारक राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति प्रस्तुत करेगा।

29/06/2020

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांकः 643 /खनिज/ई–नीलाम बालू/2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
5. उपजिलाधिकारी/उपनिबन्धक बारा, प्रयागराज।
6. मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी–437/189 नेवादा कलोनी अशोक नगर, जनपद–प्रयागराज।

29/06/2020

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

Anx-3

सेवा में,

कलेक्टर,

प्रयागराज।

पत्रांक 704 / खनिज / व0प्र0प0 / 2019 दिनांक 07 / 07 / 2020

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा खनिज बकाया के मद में नीचे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धनराशि देय है।

अतएव आप उपर्युक्त व्यक्ति / व्यक्तियों से बकाया धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भांति यथाशीघ्र वसूल कर, वसूली की स्थिति से खनन विभाग, प्रयागराज को एक माह के अन्दर सूचित करें।

बकायेदार का ब्यौरा

1–	ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों का / के नाम, पिता का नाम और पूरा पता जिस / जिन पर बकाया देय है।	–	मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी–437 / 189 नेवादा कलोनी अशोक नगर, जनपद–प्रयागराज।
2–	यथा–निर्धारित बकाया धनराशि	–	7,89,00,000.00 रू0 में से जमा प्रतिभूति की धनराशि रू0 2,50,00,000.00 का समायोजन करने के उपरान्त निर्धारित बकाया रायल्टी की धनराशि रू0 5,39,00,000.00 व इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–04 के कॉलम संख्या–5 में दर्शाये गये देय तिथि से ब्याज सहित।
3–	बकाया धनराशि का विवरण जो भू–राजस्व (18.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय है) की बकाये की भॉति वसूल की जायेगी।	–	जिलाधिकारी, प्रयागराज (उ0प्र0) के आदेश संख्या–643 / खनिज / ई–नीलाम बालू / 2020–21 दिनांक 29.06.2020 द्वारा खनन पट्टा विलेख के अनुसार यमुना नदी तल के बालू क्षेत्र खण्ड सं0–04 (ग्राम–सेमरी) के 08.00 हे0 क्षेत्र को नीलामी खनन पट्टा के सन्दर्भ में पट्टाधारक द्वारा निम्नानुसार नीलामी पट्टा के किश्तों की धनराशि देय है:–
4–	जिन दिनांक से बकाया देय है।	–	

क्र0 सं0	वर्ष	किश्त	बकाया किश्त की धनराशि	देय तिथि
1	2	3	4	5
1	प्रथम वर्ष	प्रथम	जमा	27.02.2018
		द्वितीय	जमा	01.04.2018
		तृतीय	जमा	01.07.2018
		चतुर्थ	जमा	01.10.2018
2	द्वितीय वर्ष	प्रथम	जमा	01.01.2019
		द्वितीय	जमा	01.04.2019
		तृतीय	17500000	01.07.2019
		चतुर्थ	27500000	01.10.2019
3	तृतीय वर्ष	प्रथम	30250000	01.01.2020
		द्वितीय	3650000	01.04.2020

अतः रेवन्यू रिकवरी एक्ट (1) 1890 (यथासंशोधित) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त धनराशि बिन्दु संख्या–4 के कॉलम संख्या–5 में अंकित बकाये की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित को माल गुजारी की भॉति वसूल करके खनिज विभाग के लेखा शीर्षक 0853 अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग जिसका विवरण 13 अंकों में निम्न प्रकार दिया गया है में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कराकर, चालान की मूल प्रति के साथ मांग पत्र वापस करने का कष्ट करें। ब्याज बकाया के दिनांक से जमा करने की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त तालिका के अतिरिक्त प्रथम वर्ष के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किश्त व द्वितीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त की धनराशि विलम्ब से जमा करने पर नियमानुसार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,79,06,432.00 को भी खनिज विभाग के लेखा शीर्षक 0853 अलौह धातु, खनन और धातु कर्म उद्योग में चालान के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें।

भवदीय

लेखा शीर्षक–

0853, 00, 102, 01, 00

06/07/2020

जिलाधिकारी,

प्रयागराज।

Scanned with CamScanner

ANX-4

सेवा में,

कलेक्टर,

प्रयागराज।

पत्रांकः 704B/खनिज/व0प्र0प0/2020-21 दिनांकः 07/07/2020

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा खनिज बकाया के मद में नीचे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धनराशि देय है :

अतएव आप उपर्युक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से बकाया धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति यथाशीघ्र वसूल कर, वसूली की स्थिति से खनन विभाग, प्रयागराज को एक माह के अन्दर सूचित करें।

बकायेदार का ब्यौरा

1-	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम, पिता का नाम और पूरा पता जिस/जिन पर बकाया देय है।	--	मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी-437/189 नेवादा कलोनी अशोक नगर, जनपद-प्रयागराज।
2-	यथा-निर्धारित बकाया धनराशि	--	टी0सी0एस0 रू0 34,10,000.00 व इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या-04 के कॉलम सं0-5 में दर्शायें गये देय तिथि से ब्याज सहित।
3-	बकाया धनराशि का विवरण जो भू-राजस्व (18.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय है) की बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।	--	जिलाधिकारी, प्रयागराज (उ0प्र0) के आदेश संख्या-643/खनिज/ई-नीलाम बालू/2020-21 दिनांक 29.06.2020 द्वारा खनन पट्टा विलेख के अनुसार यमुना नदी तल के बालू क्षेत्र खण्ड सं0-04 (ग्राम-रोमरी) के 08.00 हे0 क्षेत्र को नीलामी खनन पट्टा के सन्दर्भ में पट्टाधारक द्वारा निम्नानुसार नीलामी पट्टा के किश्तों के सापेक्ष बकाया टी0सी0एस0 की धनराशि देय है:-
4-	जिन दिनांक से बकाया देय है।	--	(see table below)

क्र0 सं0	खनन पट्टा वर्ष	किश्त	टी0सी0एस0 की धनराशि	बकाये की तिथि
1	2	3	4	5
1.	प्रथम वर्ष	प्रथम	जमा	27.02.2018
		द्वितीय	जमा	01.04.2018
		तृतीय	जमा .	01.07.2018
		चतुर्थ	जमा	01.10.2018
2.	द्वितीय वर्ष	प्रथम	550000	01.01.2019
		द्वितीय	550000	01.04.2019
		तृतीय	550000	01.07.2019
		चतुर्थ	550000	01.10.2019
	तृतीय वर्ष	प्रथम	605000	01.01.2020
		द्वितीय	605000	01.04.2020

अतः रेवन्यू रिकवरी एक्ट (1) 1890 (यथासंशोधित) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त धनराशि बिन्दु संख्या-4 के कॉलम संख्या-5 में अंकित बकाये की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित को माल गुजारी की भाँति वसूल करके खनिज विभाग के टैन नम्बर-ALDD00931A में टी0सी0एस0 की धनराशि को जमा कराकर, चालान की मूल प्रति के साथ मांग पत्र वापस करने का कष्ट करें।

ब्याज बकाया के दिनांक से जमा करने की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल किया जायेगा।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 06/07/2020

जिलाधिकारी,

प्रयागराज।

S/c

Scanned with CamScanner

Anx-5

सेवा में,

कलेक्टर,
प्रयागराज।

पत्रांकः 704A/खनिज/व0प्र0प0/2019

दिनांकः 07/07/2020

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा खनिज बकाया के मद में नीचे स्तम्भ में विनिर्दिष्ट धनराशि देय है :

अतएव आप उपर्युक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से बकाया धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भांति यथाशीघ्र वसूल कर, वसूली की स्थिति से खनन विभाग, प्रयागराज को एक माह के अन्दर सूचित करें।

बकायेदार का ब्यौरा

1–	ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम, पिता का नाम और पूरा पता जिस/जिन पर बकाया देय है।	—	मे0 सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स पा0 श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी–437/189 नेवादा कलोनी अशोक नगर, जनपद–प्रयागराज।
2–	यथा–निर्धारित बकाया धनराशि	—	डी0एम0एफ0 रू0 2,70,50,000.00 व इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–04 के कॉलम सं0–5 में दर्शायें गये देय तिथि से ब्याज सहित।
3–	बकाया धनराशि का विवरण जो भू–राजस्व (15.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय है) की बकाये की भॉति वसूल की जायेगी।	—	जिलाधिकारी, प्रयागराज (उ0प्र0) के आदेश संख्या–643/खनिज/ ई–नीलाम बालू/2020–21 दिनांक 29.06.2020 द्वारा खनन पट्टा विलेख के अनुसार यमुना नदी तल के बालू क्षेत्र खण्ड सं0–04 (ग्राम–सेमरी) के 08.00 हे0 क्षेत्र को नीलामी खनन पट्टा के सन्दर्भ में पट्टाधारक द्वारा निम्नानुसार नीलामी पट्टा के किश्तों के सापेक्ष बकाया डी0एम0एफ0 की धनराशि देय हैः–
4–	जिन दिनांक से बकाया देय है।	—	(see table below)

क्र0 सं0	खनन पट्टा वर्ष	किश्त	डी0एम0एफ0 की धनराशि	बकाये की तिथि
1	2	3	4	5
1.	प्रथम वर्ष	प्रथम	2500000	27.02.2018
		द्वितीय	2500000	01.04.2018
		तृतीय	2500000	01.07.2018
		चतुर्थ	2500000	01.10.2018
2.	द्वितीय वर्ष	प्रथम	2750000	01.01.2019
		द्वितीय	2750000	01.04.2019
		तृतीय	2750000	01.07.2019
		चतुर्थ	2750000	01.10.2019
3	तृतीय वर्ष	प्रथम	3025000	01.01.2020
		द्वितीय	3025000	01.04.2020

अतः रेवन्यू रिकवरी एक्ट (1) 1890 (यथासंशोधित) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त धनराशि बिन्दु संख्या–4 के कॉलम संख्या–5 में अंकित बकाये की तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित को माल गुजारी की भॉति वसूल करके खनिज विभाग के जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की धनराशि को इलाहाबाद बैंक, शाखा न्यू कटरा, प्रयागराज के जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के खाता संख्या–50414947697, आई0एफ0एस0सी0 कोड–ALLA0210086 में जमा कराकर, चालान की मूल प्रति के साथ मांग पत्र वापस करने का कष्ट करें।

ब्याज बकाया के दिनांक से जमा करने की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूल किया जायेगा।

भवदीय

(signature)

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

O/C

Scanned with CamScanner